न्यायालय सी0जे0एम0 हाथरस
फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या–1/12/2018
श्रीमती परवीन बनाम नाहर सिंह आदि
थाना–कोतवाली हाथरस

दिनॉक 16.1.2018

प्रार्थनापत्र आदेशार्थ पेश हुआ।

आवेदिका ने प्रार्थनापत्र धारा 156(3) द0प्र0स0 पर बल देते हुये कथन किया है कि दिनॉक 24.12.17 समय करीब 6.30 बजे शाम प्रार्थिया के घर की घटना है जबकि प्रार्थिया अपने बच्चों को खाना खिला रही थी तभी विपक्षीगण एक राय मशवरा होकर प्रार्थिया के घर के अंदर लाठी डंडों से लैस होकर आये और आते ही बुरी बुरी मॉ बहिन की गालियॉ प्रार्थिया के पति नरेश को देने लगे। प्रार्थिया के पति ने जब गाली गलौज देने से मना किया तो उक्त विपक्षीगण ने प्रार्थिया के पति नरेश के साथ लाठी ,डंडा ,लातघूसों से बुरी तरह मारपीट घर के अंदर की। प्रार्थिया अपने पति को बचाने लगी तो उससे भी मारपीट की तथा अभियुक्तगण कानों में पहने सोने के कुण्डल जबरन खोलकर छीन लिये तथा टी0वी0 के पास प्रार्थिया के 5 हजार रूपया रखे हुये थे, लूटकर ज्वाला ले गया । शोर पर काफी व्यक्ति इकट्ठे हो गये, जिन्होने प्रार्थिया के पति एवं उसको बचाया। प्रार्थिया के बच्चों को अपहरण करने की धमकी दी तथा कहा कि आज तो बचा लिया है आइंदा मौका पड़ते ही जान से पूरे परिवार को मार देगें। प्रार्थिया के पति के सिर पर अभियुक्तगण की मारपीट से काफी चोटें आयी है। प्रार्थिया अपने पति को लेकर थाना कोतवाली हाथरस रिपेार्ट कराने गयी तो नही लिखी। आवेदिका ने इन्ही सब आधारों पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराये जाने का निवेदन किया है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

आवेदिका ने विपक्षीगण पर मारपीट करके चोटें कारित, गालियॉ देने एवं कुण्डल व रूपया लूटकर ले जाने का आरोप लगाया है। प्रार्थनापत्र मे किये गये अभिकथनों से प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराध कारित किया जाना प्रकट होता है। विवेचना कराया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हाथरस को निर्देशित किया जाता है कि वह यथोचित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर विवेचना कराया जाना सुनिश्चित करें एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट न्यायालय में भेजना सुनिश्चित करें।

एस.डी./–
सी0जे0एम0 हाथरस
16.1.2018